Title: Need to enquire into alleged deforestation done by Sterlite Industries Limited for setting up of a Captive Power Plant at Korba, Chhatisgarh.

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाना केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी गैर-कानूनी और दंडनीय माना जाता है। मेरा तात्पर्य बाल्को कंपनी से है, जिसका 51 प्रतिशत शेयर और प्रबंधन प्रभार स्टार लाईट इंडस्ट्रीज़ के पास है। अपनी विस्तार परियोजना में एक 675 मैगावाट कैप्टिव पावर प्लांट का निर्माण करते समय कंपनी द्वारा हजारों की संख्या में हरे-हरे पेड़ काटे गए। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि कोरबा जो कि एक छोटा कस्बा है, यहां पर चार थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं, जिसमें बाल्को कंपनी का पहले से ही 275 मैगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट था। निजीकरण के बाद उसका ही आधुनिकीकरण होना चाहिए था जिससे इस वन भूमि के दुरुपयोग को रोका जा सकता था, फिर भी स्टार लाईट इंडस्ट्रीज़े को अपना नया थर्मल पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। केन्द्र सरकार की ओर से ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरबा निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकेगी, जो अब लगभग 24 हजार मीट्रिक टन फ्लाई ऐश और ज़्यादा के शिकार होने वाले हैं?

मेरा केन्द्र सरकार से कहना है कि इस संयंत्र को लगाने में स्टार लाईट इंडस्ट्रीज़ ने वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ एक उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के फरवरी 1997 के वन संरक्षण के निर्देशों का सख्ती से पालन हो सके और हरे-भरे पेड़ों को समाप्त होने से रोका जा सके।

MR. CHAIRMAN :

Dr. Karan Singh Yadav - not present.

Shri Y.G. Mahajan - not present.

Shri Ganesh Singh - not present.

Shri Sukdeo Paswan - not present.

Shri Suresh Chandel - not present.

Shrimati Manorama Madhavraj - not present.

Shri Khagen Das